



प्रेस नोट दिनांक 20.09.2025 जनपद फतेहपुर

थाना किशनपुर पुलिस द्वारा गत रात्रि गौशाला से दो राशि गाय चोरी कर गौ-वध हेतु ले जाते समय स्थानीय जन सहयोग से 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे एक चार पहिया वाहन, 01 अदद तमंचा, 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस, 03 मोबाइल फोन, 100 रूपया सहित 02 राशि गाय एवं गोकशी से संबंधित उपकरण बरामदा

संक्षिप्त विवरण:- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गत रात्रि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरौली स्थित गौशाला से 02 राशि गाय चोरी कर ले जाते समय थाना किशनपुर पुलिस द्वारा स्थानीय जनसहयोग से घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. मो0 अमान, 2. अयूब अली, 3. मुबीन एवं, 4. जसवंत को गिरफ्तार कर कब्जे से एक क्षतिग्रस्त चार पहिया कार नं0 UP78 CA 2329, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं गोकशी का उपकरण सहित 03 अदद मोबाइल फोन व 100 रूपया एवं 02 राशि गाय बरामद की गयी 1 अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना किशनपुर पर अभियोग अ0सं0 0225/2025 धारा 109/305(2)/317(2)/61(2) बीएनएस व 3/25A आर्म्स एक्ट व 4/25A आर्म्स एक्ट व 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 पंजीकृत कर विधिसंगत कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई में जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

20/09/2025, समय 01.40 बजे, वहाद गौशाला ग्राम सरौली 1

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:—

1. मो0 अमान पुत्र मो0 आरिफ उम्र करीब 25 वर्ष निवासी 263 CL वाजिदपुर जारजमऊ थाना जारजमऊ जनपद कानपुर नगर
2. अयूब अली पुत्र रहमत अली उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्वालटोली ख्लासी नगर थाना ग्वालटोली कानपुर नगर
3. मुबीन पुत्र मुफीद अहमद उम्र करीब 35 वर्ष नि0 91/97 दलेल पुरवा थाना अनवरगंज जनपद कानपुर नगर
4. जसवंत सिंह पुत्र दुर्गा सिंह उम्र करीब 45 निवासी ग्राम सरौली थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अमान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 160/2019 धारा 429 भादवि0 थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 602/2021 धारा 429 भादवि0 व 3/5/8/11 गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशुकूरता अधिनियम थाना चकेरी
3. मु0अ0सं0 603/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना चकेरी जनपद कानपुर कमिश्नरेट
4. मु0अ0सं0 908/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद अधिनियम 1986 थाना चकेरी जनपद कानपुर कमिश्नरेट
5. मु0अ0सं0 14/2024 धारा 5/11 उ0प्र0 गोवध व पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर कमिश्नरेट

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक चार पहिया कार नं0 UP78CA 2329
- 2- 1 अदद तमंचा 315 बोर
- 3- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 3- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 4- 02 अदद चापड़
- 5- 01 अदद काली पन्नी
- 6- 01 अदद लकड़ी का ठीहा
- 7- 02 राशि गाय
- 8- 100/- रुपये नगद

9- 03 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1. उ0नि0 भुवनेश्वर यादव

2. उ0नि0 सालिकराम

3. का0 विवेक यादव

4. का0 राजेश तिवार

नियुक्ति थाना किशनपुर

जनपद फतेहपुर

एवं स्थानीय ग्राम प्रधान व अन्य 1